बिहार सरकार,
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

# अधिसूचना

संख्या......11...... / कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग बिहार, पटना, की अधिसूचना सं0–219 दिनांक 29.10.2013 द्वारा बिहार प्रोबेशन संवर्ग में नवनियुक्त सुश्री सिम्पल कुमारी, परीक्ष्यमान प्रोबेशन पदाधिकारी को दिनांक--17.12.2013 के कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना में योगदान करने के फलस्वरूप योगदान की तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए नीचे अंकित जिला प्रोबेशन कार्यालय में प्रशिक्षण हेतु तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है:–

| क्र0 | प्रोबेशन पदाधिकारी का नाम | गृह जिला | कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय में योगदान की तिथि | संलग्न जिला प्रोबेशन कार्यालय का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सुश्री सिम्पल कुमारी | रोहतास | 17.12.2013 | आरा |

2. चूँकि उपर्युक्त परीक्ष्यमान प्रोबेशन पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य के प्रोबेशन कार्यालयों के लिए कुल स्वीकृत बल के अधीन की गई है तथा उनका नियमित पदस्थापन अभी तक नहीं किया गया है, अतः संबंधित परीक्ष्यमान प्रोबेशन पदाधिकारी के वेतनादि की निकासी संबंधित जिला प्रोबेशन कार्यालय के प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी के कार्यालय स्थापना के द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वेतन विपत्र पर इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा कि उक्त परीक्ष्यमान प्रोबेशन पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य के प्रोबेशन पदाधिकारियों के स्वीकृत बल के अन्तर्गत की गयी है।

राशि की निकासी बजट "मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–02 समाज कल्याण, लघु शीर्ष– 106 सुधारक सेवाएँ, उप शीर्ष– 0002 परिवीक्षा सेवाएँ" के अन्तर्गत होगा। इसका मांग संख्या– 22 तथा विपत्र कोड– एन 2235021060002 है, जिनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित प्रोबेशन कार्यालय के प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी होगें।

3. बिहार प्रोबेशन संवर्ग के अनुसार नवनियुक्त परीक्ष्यमान प्रोबेशन पदाधिकारी को एक वर्ष तक विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। उन्हें छः माह विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण एवं 4 सप्ताह बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बाल्मी परिसर, पटना में प्रशिक्षण दिया जायेगा। उक्त संस्थानों से विस्तृत कार्यक्रम प्राप्त होने के पश्चात् उसके संबंध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जाएगी। सम्प्रति जिला प्रोबेशन कार्यालयों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु निम्नरूपेण कार्यक्रम तय किया जाता है:–

| क्र0 | प्रशिक्षण का स्थान | प्रशिक्षण का विषय | अवधि (सप्ताह) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जिला प्रोबेशन कार्यालय में प्रशिक्षण | (क) प्रोबेशन कार्यालयों में पदाधिकारी एवं कर्मचारी का स्थापना संबंधित कार्य, सेवा शर्त्त एवं काराओं में बंदियों के संबंध में निहित प्रतिवेदन तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। | 06 | |
| | | (ख) संलग्न जिला प्रोबेशन कार्यालय के जिला मुख्यालय के जिलों में न्यायिक कार्य | 06 | |
| | | (ग) संलग्न जिला प्रोबेशन कार्यालय के मुख्यालय के जिला में कोषागार से संबंधित कार्य | 01 | |
| | | (घ) संलग्न जिला प्रोबेशन कार्यालय के मुख्यालय के जिला में जिला पदाधिकारी के साथ प्रशिक्षण कार्य | 01 | |
| | | (ड) संलग्न जिला प्रोबेशन कार्यालय के | 01 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | मुख्यालय के जिला में पुलिस अधीक्षक के साथ प्रशिक्षण कार्य | | |
| | | (च) संलग्न जिला प्रोबेशन कार्यालय के मुख्यालय के जिला में अवस्थित केन्द्रीय / मंडल कारा के अधीक्षक के साथ प्रशिक्षण कार्य | 02 | |
| कुल | | | 17 | |

4. संबंधित जिला प्रोबेशन कार्यालय के प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी अपने कार्यालय में प्रशिक्षण हेतु उक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित अवधि एवं विषयों के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही संबंधित जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, संबंधित काराधीक्षक एवं कोषागार पदाधिकारी आदि से संपर्क कर जिला स्तर पर निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार तिथिवार कार्यक्रम तय कर आदेश निर्गत करते हुए प्रशिक्षण दिलवाने की भी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10/1/14

**(सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव)**

**अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)**

ज्ञापांक–कारा / स्था0 (प्रो0) 10–14 / 13......11......दिनांक......10/01/14......

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (सी0डी0 सहित) प्रेषित।

10/1/14

**अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)**

ज्ञापांक–कारा / स्था0 (प्रो0) 10–14 / 13......11......दिनांक......10/01/14......

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/1/14

**अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)**

ज्ञापांक–कारा / स्था0 (प्रो0) 10–14 / 13......11......दिनांक......10/01/14......

प्रतिलिपि–संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी / संबंधित काराधीक्षक / संबंधित परीक्ष्यमान प्रोबेशन पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/14

**अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)**

ज्ञापांक–कारा / स्था0 (प्रो0) 10–14 / 13......11......दिनांक......10/01/14......

प्रतिलिपि–निदेशक प्रोबेशन चर्या, कारा एंव सुधार सेवाएँ, निरीक्षणालय, बिहार पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/14

**अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)**

ज्ञापांक–कारा / स्था0 (प्रो0) 10–14 / 13......11......दिनांक......10/01/14......

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/14

**अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)**